

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


गोपाल पिता चतुर्भुज माली नि. खजूरी

बनाम

मथरा पिता नारायण रेगर नि फत्ता खेडा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 596/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
14.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उलेला प. ह. उलेला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 63 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आ.नं. 65 रकबा 0.1296 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.1836 हैक्टेयर स्थित है। विपक्षीयण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम उलेला प. ह. उलेला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 63 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आ.नं. 65 रकबा 0.1296 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.1836 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड-अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक /रीडर / 2023 / 596 / 2023


दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 596/2023 अनवान गोपाल पिता वतुर्भुज माली नि.
खजूरी वनाम मथरा पिता नारायण रेगर नि फत्ता खेडा
तहसील जहाजपुर, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की
पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम उलेला प. ह. उलेला
तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 63 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आ.नं. 65 रकबा 0.1296
हैक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 0.1836 हैक्टेयर की वसामलात पडोसियान के पत्थरगढी
करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है।
कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मोके पर अदा करेगा, उनमें से
100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेष करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)